

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 08.04.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंह,
अति.महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर। सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
3. श्री एल.आर.मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1078 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 263 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें 02 न्यायालय प्रकरणों पर पृथक से निर्णय लिये जाने पर शेष 261 प्रकरणों पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (छ) की शर्तें पूर्ण करने पर नियम 4 (ख)(ग) के तहत पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

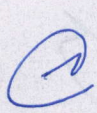
(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण :-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	सुबान खां पुत्र इस्माईल खां	के.का.जोधपुर	-

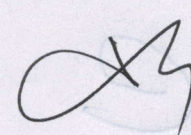
2.	वीरतराज पुत्र अमृतलाल	के.का.कोटा	बंदी के जेल दण्ड की अवधि पूर्ण नहीं, परन्तु आचरण अच्छा होने पर स्थाई पैरोल का प्रकरण कमेटी की प्रवृंदना पर स्वीकृत हेतु गृह विभाग को भिजवाया हुआ है, के आधार पर।
3.	सुरेश पुत्र गंगाराम	के.का.उदयपुर	-
4.	तेजमल पुत्र मांगीलाल	के.का.कोटा	-
5.	गुड्डूदास उर्फ गुडिया पुत्र भीमदास	के.का.उदयपुर	-
6.	जयभगवान पुत्र मांगीलाल	जि.का.टोंक	-
7.	मोहनलाल पुत्र बिरदाराम	के.का.जयपुर	-
8.	मांगीलाल पुत्र गंगाराम	के.का.जोधपुर	फरारी के बाद पुनः जेल दाखिल होने पर प्राप्त रेमीशन की गणना के उपरान्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर।
9.	हरिचन्द पुत्र हणमान	के.का.बीकानेर	-
10.	शोभित जोशी उर्फ संदर्भ पुत्र प्रमोद शर्मा	के.का.जयपुर	फरारी के बाद पुनः जेल दाखिल होने पर प्राप्त रेमीशन की गणना के उपरान्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर।
11.	कुन्दनसिंह पुत्र हडवंतसिंह	के.का.जोधपुर	-
12.	रामकृष्णा उर्फ अन्ना पुत्र रामगडु उर्फ रेड्डी	के.का.जयपुर	-
13.	फुलपुरी पुत्र भंवरपुरी	के.का.जोधपुर	-
14.	कालू पुत्र हुकिया	के.का.उदयपुर	फरारी के बाद पुनः जेल दाखिल होने पर प्राप्त रेमीशन की गणना के उपरान्त दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर।
15.	सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल	के.का.उदयपुर	-

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों

2







में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस. बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में संबंधित दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	राधेश्याम उर्फ राजू पुत्र रणधीर सिंह	के.का.बीकानेर	-
2.	जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद	के.का.जोधपुर	-
3.	सुरेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार	वि.के.का. श्यालावास	-
4.	रूपसिंह पुत्र लुखरू	के.का.बीकानेर	-
5.	कन्हैयालाल पुत्र रामकिशन	के.का.भरतपुर	-
6.	दिवान पुत्र भुन्डिया	के.का.जयपुर	-
7.	प्रदीप जाट पुत्र प्रीतम सिंह	वि.के.का. श्यालावास	-
8.	गणपतलाल पुत्र सुखराम उर्फ सुखलाल	के.का.जोधपुर	-

2. अस्वीकृत/अग्रेषित प्रकरणों का विवरण:-

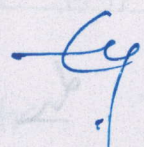
वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार (02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने/अग्रेषित का निर्णय लिया गया:-

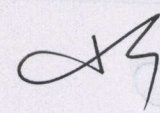
(अ) अस्वीकृत प्रकरण:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	अनवर पुत्र रमजानी	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन, दिनांक 19.09.2014 से 29.10.2015 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा, मानसिक रोगी एवं लाचार होने के कारण।

2.	पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से दिनांक 29.06.2013 से 05.08.2013 तक फरारशुदा।
3.	सम्पत सिंह पुत्र पन्नासिंह	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)
4.	महेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
5.	विष्णु पुत्र नेकराम	के.का.भरतपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 02.03.2015 से 08.10.2015 तक फरारशुदा, 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित तथा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित होने के कारण।
6.	भूरिया उर्फ जगदीश पुत्र अमरनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 23.08.2019 से 08.01.2020 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
7.	नागरमल पुत्र रामनाथ	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 19.03.2022 से 22.03.2022 तक फरार होने, उद्योगशाला से जून 2023 से अनुपस्थित होने के कारण एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से।
8.	रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह	के.का.कोटा	02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से 31.10.2016 से 29.01.2017 तक फरार।
9.	प्रशान्त उर्फ लाला पुत्र कृष्णकुमार	के.का.भरतपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 07.11.2021 से 03.12.2021 तक फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं दिनांक 02.09.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।







10.	नरपत उर्फ नरपत सिंह पुत्र रामप्रसाद	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 02.09.2022 से 13.06.2024 तक फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
11.	नवाब अख्तर पुत्र युसुफ खान	के.का.जोधपुर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 जमानत पर) एवं खुला बंदी शिविर से दिनांक 10.06.2019 से 28.01.2021 तक फरारशुदा।
12.	गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण	के.का.भरतपुर	दिनांक 26.08.2024 से 11.09.2024 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं दिनांक 30.08.2015 से 12.05.2016 तक पैरोल से फरारशुदा और दिनांक 11.09.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
13.	राजकुमार पुत्र कुवंर सिंह	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 395, 396 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में विचाराधीन तथा 02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित।
14.	इमरान उर्फ दिल्ली वाला पुत्र इस्लाम खान	के.का.कोटा	02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित, 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर) एवं दिनांक 13.01.2020 से 10.03.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
15.	चन्द्रप्रकाश पुत्र भैरूलाल	के.का.कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) एवं दिनांक 07.09.2021 से 10.01.2024 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
16.	कैलाशनाथ पुत्र उँकार नाथ	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित ।
17.	सुनील उर्फ लीडर पुत्र रामकुमार	के.का.जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (सभी जमानत पर)
18.	अनिल पुत्र हेतराम	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 04.12.2021 से 10.01.2022 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।

19.	सुभाष पुत्र दौलतराम	के.का.बीकानेर	दिनांक 01.02.2018 से 02.02.2018 तक एवं दिनांक 30.11.2019 से 20.12.2019 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित।
20.	सलीम उर्फ रफीक पुत्र गफुर मोहम्मद	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 जमानत पर)।
21.	रोडूलाल उर्फ जगदीश पुत्र मगनलाल	के.का.जयपुर	दिनांक 07.05.2023 से 08.03.2024 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
22.	अर्जूनराम पुत्र बक्साराम	के.का.जयपुर	बंदी खुला शिविर में कदाचार करने के कारण दिनांक 07.11.2024 को जेल दाखिल होने के कारण।
23.	राजू पुत्र खेता	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं मानसिक रोगी।
24.	गोविन्द सिंह पुत्र उम्मेद सिंह	के.का.बीकानेर	2 से अधिक 4 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन तथा दिनांक 31.05.2019 से 02.07.2022 तक बंदी खुला शिविर से फरारशुदा।
25.	कालू खाँ पुत्र शकूर खाँ	के.का.जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बंदी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
26.	शहाबुद्दीन पुत्र शकूर खाँ	के.का.जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बंदी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
27.	उस्मान पुत्र शकूर खाँ	के.का.जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बंदी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
28.	देवीसिंह पुत्र भंवर सिंह	के.का.उदयपुर	दिनांक 14.08.2022 से 18.08.2022 तक बंदी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)।

C

W

fy

5⁶

23

29.	रहीम बक्स पुत्र शकूर खाँ	के.का.जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
30.	किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल	के.का.उदयपुर	दिनांक 08.06.2013 व दिनांक 07.10.2022 को पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं मानसिक रोगी।
31.	गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 09.10.2018 से 26.10.2018 तक पैरोल से फरारशुदा।
32.	डालचन्द उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह	के.का.कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) एवं प्रशासनिक कारणों से दिनांक 31.05.2023 को खुला बन्दी शिविर से जेल दाखिल।
33.	पदमसिंह उर्फ पप्पी पुत्र रामसिंह	के.का.कोटा	प्रशासनिक कारणों से दिनांक 31.05.2023 को खुला बन्दी शिविर से जेल दाखिल।
34.	मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली	वि.के.का. श्यालावास	04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (जमानत नहीं) तथा दिनांक 18.02.2018 से 26.07.2015 तक पैरोल से फरार होने के कारण।
35.	चांद उर्फ चांद मिया पुत्र सरताज	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
36.	खरताराम पुत्र भंवरलाल	के.का.जोधपुर	बन्दी खुला शिविर में कदाचार के कारण दिनांक 24.08.2023 को जेल दाखिल।
37.	भीवाराम पुत्र दासुराम	के.का.जोधपुर	दिनांक 21.01.2005 से 03.05.13 तक पैरोल से एवं दिनांक 15.11.2017 से 13.09.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा तथा 01 फरारी प्रकरण विचाराधीन।
38.	सूरज धोबी पुत्र बालचंद जाति धोबी	के.का.कोटा	बन्दी खुला शिविर में कदाचार करने पर दिनांक 13.09.2024 को जेल दाखिल होने के कारण।

39.	मनोहर पुत्र विष्णुप्रकाश	के.का.अजमेर	5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं दिनांक 11.05.2023 को जेलदण्ड से दण्डित।
40.	शौकित उर्फ तूफान उर्फ बंजारा पुत्र गुलमा उर्फ बालकनाथ	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
41.	पूरण सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर में कार्य नहीं करने के कदाचार के कारण दिनांक 26.05.2024 को जेल दाखिल।
42.	कन्नो सिंह पुत्र खूम सिंह	के.का.कोटा	खुला बंदी शिविर से 01.03.2023 से 19.01.2024 तक फरार एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) ।
43.	बैजा उर्फ बैजनाथ पुत्र मेहताब सिंह	के.का.भरतपुर	10 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं दिनांक 05.05.2006 से 24.05.2006 तक पैरोल से फरारशुदा।
44.	शंकर पुत्र मोडू उर्फ हरजी	के.का.कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)। एवं दिनांक 18.06.2022 से 11.12.2023 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
45.	विनोद पुत्र मुरलीधर	के.का.जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित, प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं दिनांक 13.09.2018 से 31.07.2019 तक आपात पैरोल से फरारशुदा।
46.	तारासिंह उर्फ तारईया पुत्र डोंगर सिंह	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित एवं 06 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर)।
47.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	के.का.कोटा	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)।
48.	प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।(जमानत पर)।

49.	काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी	के.का.उदयपुर	प्रतिबन्धित धारा 376डी आईपीसी में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक दण्डित होने से एवं दिनांक 09.09.2023 से 30.12.2023 तक पैरोल से फरारशुदा तथा दिनांक 10.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित व अन्य एक प्रकरण में विचाराधीन(जमानत नहीं) होने के कारण।
50.	प्रहलाद पुत्र राजु मीणा	के.का.उदयपुर	03 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नहीं), दिनांक 01.10.2019 से 14.12.19 तक पैरोल से फरारशुदा।
51.	नरेश उर्फ मोखमसिंह पुत्र रतन लाल	के.का.अजमेर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत नहीं) ।
52.	गिरधारी पुत्र पेफाराम	के.का.जयपुर	दिनांक 12.03.2023 से 12.07.2023 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर)
53.	वाकिल उर्फ वकील पुत्र पदमो उर्फ पदमा उर्फ पदमनाथ	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 396, आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित। दिनांक 25.06.2024 से जेल दण्ड से दण्डित।
54.	सुभाष खीचड़ पुत्र महेन्द्र सिंह	के.का.अजमेर	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 जमानत) तथा दिनांक 22.03.2017 से 12.05.2017 तक आपात पैरोल से फरारशुदा।
55.	दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
56.	मुकेश गोस्वामी पुत्र लक्ष्मण सिंह	उ.सु.का.अजमेर	दिनांक 30.12.2019 से 11.01.20 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 07 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत पर)

57.	देवाराम उर्फ देवराज पुत्र गोपाराम	के.का.अजमेर	दिनांक 23.10.2021 से 13.01.22 तक पैरोल से फरारशुदा एवं दिनांक 11.08.2023 को जेल दण्ड से दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
58.	अनूप पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	उ.सु.का.अजमेर	02 से अधिक 18 प्रकरणों में दण्डित एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 जमानत) तथा दिनांक 18.11.2009 से 10.11.2014 तक पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा।
59.	शिवनाथ पुत्र गुलाबनाथ	के.का.जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित
60.	राजेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर में कदाचार के कारण दिनांक 10.04.2024 को जेल दाखिल।
61.	सद्दाम पुत्र घीसु खां	के.का.अजमेर	दिनांक 01.10.2019 से 29.06.2020 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 06 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
62.	रमनदीप उर्फ रमणा उर्फ बेपरवाह पुत्र कश्मीर सिंह	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
63.	सुखवीन्द्र उर्फ घोना पुत्र गुरमीत सिंह	के.क.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित।
64.	प्रकाश पुत्र मोहनजी	उ.सु.का.अजमेर	दिनांक 22.07.2018 से 09.05.2019 तक एवं दिनांक 13.08.2021 से 25.06.2022 तक पैरोल से फरारशुदा एवं दिनांक 06.07.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
65.	विनय कुमार पुत्र सज्जन सिंह	के.का.अलवर	खुला बंदी शिविर में कदाचार के कारण दिनांक 13.09.2023 को जेल दाखिल।

66.	करण सिंह पुत्र विजय सिंह	के.का.जोधपुर	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 जमानत पर) एवं दिनांक 07. 04.2019 से 10.02.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
67.	लाला उर्फ वारिस पुत्र छोटे खॉ	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर) तथा दिनांक 30.08.2020 से 02.09.2020 तक पैरोल से फरारशुदा।
68.	अनिल पुत्र अम्बालाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. व पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं दिनांक 25.05.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
69.	मोनू उर्फ जाहिद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं दिनांक 20.09.2018 से 03.03.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।
70.	कमलेश पुत्र सुखदेव	के.का.अजमेर	बंदी खुला शिविर में रहते समय पैरोल के दौरान धारा 376डी, 363, 342,376(2)(एन),376बी आईपीसी 3/4, 5(1)एम/06 पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज होने के कारण दिनांक 17.06. 2024 को जेल दाखिल एवं उपर्युक्त 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
71.	मदनसिंह पुत्र नरपत सिंह	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (जमानत पर)।
72.	अजीत सिंह पुत्र रामकिशन	उ.सु.का.अजमेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) तथा दिनांक 14.06.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
73.	संतोष उर्फ सन्तराम पुत्र जमनालाल	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित तथा दिनांक 17.02.2021 से 29.08.2021 तक पैरोल से फरारशुदा।

74.	राकेश उर्फ रिन्कू पुत्र रंगलाल	के.का.कोटा	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं दिनांक 22.06.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
75.	दरबार पुत्र टकरार	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 460,397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
76.	सुखवन्तसिंह उर्फ गगन पुत्र मलकीत सिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395/149 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
77.	लाल सिंह पुत्र अर्जूनसिंह	के.का.जोधपुर	पैरोल से दिनांक 05.01.2002 से 13.04.2024 तक फरारशुदा एवं 13 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (02 में जमानत पर)।
78.	प्रवीण पुत्र हुका	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित व दिनांक 02.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
79.	करणसिंह पुत्र चंदालाल	के.का.अजमेर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं दिनांक 11.05.2023, 11.08.2023, 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित तथा दिनांक 26.11.2022 को जेल दाखिल एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
80.	खातुराम पुत्र पैमिया	के.का.उदयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने के कारण एवं दिनांक 17.09.2009 से 10.08.2019 तक पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा।
81.	शैतान पुत्र खेमा वारिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
82.	कैलाश पुत्र रामप्रसाद	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 12.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।

83.	ओमप्रकाश उर्फ ओमिया उर्फ झामन पुत्र रूपाराम	के.का.जोधपुर	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं पैरोल से दिनांक 15.04.2021 से 28.02.2022 तक फरारशुदा।
84.	अमित पुत्र गोपाल सिंह	उ.सु.का.अजमेर	पैरोल से दिनांक 30.03.2020 से 07.12.2023 तक फरारशुदा एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)
85.	रामनिवास पुत्र देवाराम	के.का.श्यालवास	प्रतिबंधित धारा 394 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
86.	रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ प्रहलाद पुत्र भूराराम उर्फ रामकरण	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर)।
87.	संजय धोबी उर्फ सोनू पुत्र ओमप्रकाश	के.का.भरतपुर	दिनांक 09.09.2024 को जेल दण्ड से दण्डित एवं बंदी खुला शिविर से दिनांक 08.08.2024 से 09.09.2024 तक फरारशुदा।
88.	दीपक माथुर उर्फ दीपू पुत्र अनिल माथुर	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 11.05.2023 एवं 23.01.2024 को जेल से दण्डित।
89.	हामिद पुत्र इलाही उर्फ ईस्माईल खान	वि.के.का. श्यालावास	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
90.	जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र दाउदयाल	के.का. भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 392 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
91.	तूफान पुत्र नानूराम	उ.सु.का.अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं दिनांक 14.08.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
92.	पवन कुमार पुत्र केवल कृष्ण	जि.का.टोंक	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (जमानत नहीं)

93.	रोशम खां पठान पुत्र अमीन खां	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन(जमानत नहीं)।
94.	जीतू उर्फ जीतेन्द्र उर्फ लादेन पुत्र देशराज	वि.के.का. श्यालावास	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत नहीं)।
95.	सुभाष कच्छवाहा पुत्र प्रकाश कच्छवाहा	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
96.	श्रवण देवडा पुत्र पुखाराम उर्फ पुखराज	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर)
97.	माधू पुत्र भगवाना	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा। 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
98.	मांगीलाल पुत्र वालीया	के.का.उदयपुर	दिनांक 05.06.2024 से 28.07. 2024 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(जमानत नहीं)।
99.	अजयपाल सिंह पुत्र जब्बर सिंह	उ.सु.का.अजमेर	पैरोल से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
100.	अरविन्दसिंह पुत्र शैतान सिंह	के.का.जोधपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं) एवं डीसा कारागृह से दिनांक 09.05.2017 से 08.04. 2019 तक फरारशुदा।
101.	विकास उर्फ आकाश पुत्र मिठिया कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 जमानत पर)।
102.	चन्द्रजीत सिंह उर्फ चन्दु पुत्र घीसासिंह	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (प्रोडक्शन वारंट)

103.	अभिषेक पुत्र विष्णु जीनगर	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। दिनांक 23.06.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
104.	असलम शाह पुत्र उमरशाह	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। दिनांक 23.06.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
105.	अनेक सिंह उर्फ अनिल पुत्र रतन सिंह	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित। दिनांक 12.07.2024 एवं 24.11.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
106.	रामदेव पुत्र नरपत राम	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित। दिनांक 11.08.2023, 12.10.2023, एवं 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
107.	योगेश उर्फ योगी उर्फ नितिन पुत्र रामजीलाल	के.का.भरतपुर	पैरोल से फरारशुदा। 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन। (01 प्रकरण में जमानत पर)
108.	हनुमानराम विश्नोई पुत्र बिरमाराम	उ.सु.का.अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं) दिनांक 20.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
109.	मेघाराम पुत्र सुजाराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
110.	अजरूद्दीन उर्फ कूका पुत्र भोमा	के.का.अजमेर	दिनांक 11.08.2023 को जेल दण्ड से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
111.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
112.	मुकेश इसरानी उर्फ मुक्का पुत्र मिर्चूलाल	उ.सु.का.अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं) दिनांक 20.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।

113.	लोकेश पुत्र बाबूलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 460 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत पर)
114.	हरिश कुमार उर्फ हरिराम पुत्र छगनाराम	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित तथा दिनांक 22.08.2020 से 08.04.2023 तक पैरोल से फरारशुदा। 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (01 जमानत पर)
115.	जितेन्द्र उर्फ जीतु पुत्र मोहन मेवाड़ा	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 जमानत पर)।
116.	नरेन्द्र सेन पुत्र मोहन सेन	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376/511 आईपीसी में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 09.01.2023, 11.05.2023, 11.08.2023, 12.10.2023 एवं 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
117.	श्रीनिवास पुत्र रामस्वरूप	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 जमानत पर)।
118.	खेराजराम पुत्र छगनाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 30.06.2020 से 17.03.2023 तक पैरोल से फरारशुदा।
119.	रामलखन पुत्र गूजरमल	के.का.भरतपुर	02 अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)।
120.	पंकज कुमार उर्फ फता पुत्र लक्ष्मण	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष 397 में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित। 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 में जमानत पर)

121.	विकास उर्फ विक्की पुत्र चरण सिंह	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर) तथा न्यायिक अभिरक्षा से दिनांक 05.12.2006 से 27.02.2022 तक फरारशुदा।
122.	जयवीर पुत्र किशनलाल	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर) तथा न्यायिक अभिरक्षा से दिनांक 05.12.2006 से 27.02.2022 तक फरारशुदा।
123.	नवीन कुमार शर्मा पुत्र हरिहर स्वरूप	के.का.जयपुर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। (जमानत नहीं)
124.	श्रवण कुमार पुत्र कुलदीप	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395 एवं 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरण विचाराधीन (प्रोडक्शन वारंट)।।
125.	जितेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह	उ.सु.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 12.06.2023 एवं 31.12.2023 को जेल दण्ड से दण्डित।
126.	गुड्डिया उर्फ शांतिलाल पुत्र भंवरलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 333/34 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
127.	भीमसेन उर्फ भीम पुत्र मोहनराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 394 एवं 397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण विचाराधीन। (जमानत पर)
128.	विशाल सिंह पुत्र विजय सिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 394/120बी एवं 397/120बी आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित व 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (प्रोडक्शन वारंट)।

129.	कन्हैया लाल उर्फ काना पुत्र मथुरालाल	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन(01 प्रोडक्शन वारंट व 01 जमानत नहीं)।
130.	गिरिश उर्फ गोपाल पुत्र हंसराज	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 392 आईपीसी में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 प्रकरण में जमानत पर)
131.	सत्यनारायण पुत्र कंवर लाल पाटीदार	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
132.	संजय कुमार पुत्र घनश्याम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
133.	मोहम्मद इस्लाम उर्फ पप्पू चौधरी पुत्र छन्नू मोहम्मद	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
134.	छोटू खान पुत्र अब्दुल हमीद	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
135.	कालू सिंह पुत्र मदन सिंह	जि.का.टोंक	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
136.	विकास उर्फ कालू उर्फ शाहनू पुत्र भीमसिंह	के.का. अजमेर	प्रतिबंधित धारा में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण।
137.	गोपाल पुत्र नानूराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
138.	शिफतुल्ला उर्फ ईमरान उर्फ लाला पुत्र ईशाक अली	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
139.	प्रदीप कुमार पुत्र भूप सिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
140.	फुसाराम पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
141.	आकाश पुत्र सुमेर सिंह	वि.के.का. श्यालावास दौसा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
142.	राजेश कुशवाह पुत्र रामशकल	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
143.	गोविन्द माली पुत्र मांगीलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

144.	हरदीप सिंह पुत्र भगवान सिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
145.	सूरजाराम पुत्र आईदानाराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
146.	मोहम्मद आजम पुत्र आमीन मोहम्मद	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
147.	कुलदीप उर्फ कालू पुत्र श्योकरण	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
148.	सोमनाथ उर्फ सुखबिन्दर पुत्र भरतलाल शर्मा उर्फ जगसीर सिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
149.	छगनलाल पुत्र हीरालाल	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
150.	जाफर अली उर्फ बोगा पुत्र हाकमअली	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
151.	रतन कुमार पुत्र रामेश्वरलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
152.	विकास उर्फ कालु पुत्र छगनलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
153.	भगवानराम पुत्र मन्नाराम जाति ओड	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
154.	जगदीप सिंह पुत्र जगपाल सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
155.	भगवत सिंह पुत्र किशन सिंह	वि.के.का. श्यालावास दौसा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
156.	नरेश पुत्र दरिया	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
157.	रामकैलाश पुत्र शिवनारायण	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
158.	साबिर खान पुत्र मोहम्मद सलीम	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
159.	जेताराम पुत्र हरजीराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
160.	पूर्ण राम पुत्र संतराम	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
161.	प्रेमाराम पुत्र पुरखाराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

162.	अमनदीप पुत्र गुरदीप सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
163.	राजाराम पुत्र ठाकरराम	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
164.	जगदीश पुत्र घीसूलाल धाकड	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
165.	नानुराम दर्शना उर्फ बबलू पुत्र रतनलाल	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
166.	ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र केसाराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
167.	बलजिन्दर पुत्र सरजीत सिंह	के.का.भरतपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
168.	सिकन्दर सिंह पुत्र जगसिर सिंह जट	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
169.	ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचंद	जि.का.धौलपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
170.	बाबर उर्फ बब्बर पुत्र शिवप्रकाश	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
171.	महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र रामलाल	के.का. अलवर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
172.	बजरंग सिंह पुत्र मूलसिंह	के.का.अलवर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
173.	घनश्याम पुत्र रामकरण	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
174.	प्रदीप कुमार उर्फ कालु पुत्र देवीलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
175.	सम्पत राम पुत्र राणाराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
176.	सन्नी कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
177.	श्यामलाल पुत्र रोडीलाल	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
178.	कालु पुत्र छगना जाति गुर्जर	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
179.	भंवरलाल पुत्र सियाराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
180.	भवानी सिंह उर्फ भानू पुत्र स्व. छोटूसिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

181.	पूर्णलाल पुत्र मगतलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
182.	अखिल केडिया पुत्र रमेश केडिया	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
183.	रमेश केडिया पुत्र श्रनिवास केडिया	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
184.	पवन कुमार पुत्र कृष्णलाल	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
185.	राकेश पुत्र जगदीश प्रसाद	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
186.	लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह	के.का.अलवर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
187.	महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
188.	जावेद खान पुत्र जहीर खान	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
189.	गोमा पुत्र मांगी लाल	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
190.	पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
191.	अशोक पुत्र मांगीलाल शर्मा	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
192.	रोहिताश पुत्र दलीप उर्फ दीपाराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
193.	राजुसिंह उर्फ दुर्गसिंह पुत्र हरिसिंह देवराज	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
194.	कमलसिंह पुत्र डुगरसिंह	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
195.	मनोज बिश्नोई पुत्र प्रहलादराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
196.	राकेश पुत्र हरफूल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
197.	सरमी सिंह पुत्र सोहन सिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
198.	संजय कुमार उर्फ विककी पुत्र भगवानसहाय	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
199.	रामचन्द्र पुत्र हीराराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

200.	राजपाल पुत्र जवानाराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
201.	पप्पुलाल पुत्र नारायण लाल	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
202.	रणजीत सिंह पुत्र छोटू सिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
203.	अल्लादिता पुत्र मोबिन खां	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
204.	दिनेश पुत्र जयसुखराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
205.	अशोक पुत्र भीयाराम पटेल	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
206.	शिवलाल पुत्र हड़मानाराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
207.	सावर पुत्र हरनारायण	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
208.	सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
209.	नन्दलाल पुत्र गोरधन लाल	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
210.	रविश पुत्र श्यामलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
211.	डालचन्द पुत्र भगवानलाल	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
212.	गुरप्रीत सिंह उर्फ काला पुत्र पुरासिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
213.	दिनेश चन्द्र पुत्र नाथूलाल	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
214.	सोनू कुमार पुत्र विष्णुदत्त	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
215.	रवि कुमार पुत्र कुलदीप कुमार	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
216.	गजेन्द्र सैनी उर्फ काली पुत्र गोपीराम	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
217.	शिवम कश्यप पुत्र पवन कश्यप	के.का.श्रीगंगानगर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
218.	कुन्दन पुत्र किशन लाल	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
219.	सुरेश पुत्र हनुमानाराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

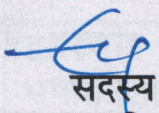
220.	मन्जुर हुसैन पुत्र रज्जाक मौहम्मद	के.काउदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
221.	सर्वजीत सिंह पुत्र मुकुंद सिंह	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
222.	विमल कुमार पुत्र सत्यनारायण प्रजापत	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
223.	कमलेश पुत्र भैरुलाल	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
224.	धीरज कुमार पुत्र सूरज चौधरी	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
225.	राहुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार	के.का.जयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
226.	मनीष कुमार पुत्र बाबुलाल तेली	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
227.	इब्राहीम पुत्र मुन्ना खां	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
228.	प्रकाश चन्द्र पुत्र हजारीलाल सालवी	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
229.	राकेश पुत्र बरिगाराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
230.	बसंती लाल पुत्र नानुराम	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
231.	दिनेश उर्फ छोटू लाल पुत्र नेनु लाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।

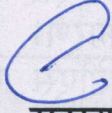
(ब) अग्रेषित प्रकरण:-

समिति द्वारा गत दो वर्षों में बंदी द्वारा नियमित पैरोल भुगती गई अथवा नहीं? नहीं भुगते जाने का कारण स्पष्ट होने एवं गत दो वर्षों में आचरण/जेल सेवा में चाल-चलन की टिप्पणी संबंधित जेल अधीक्षक से प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

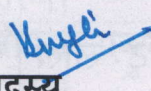
क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	अग्रेषित का कारण
1.	वसीम पुत्र कलवा	वि.के.का. श्यालावास	खुला बंदी शिविर से दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 04.04.2023 तक फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन। उक्त प्रकरण में बंदी द्वारा जमानत भरवाई गई अथवा नहीं की सूचना प्राप्त होने पर।

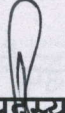
2.	मनाराम पुत्र नेतीराम	के.का.जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) एवं दिनांक 19.01.2023 से 11.03.2023 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। उक्त प्रकरण में बन्दी द्वारा जमानत भरवाई गई अथवा नहीं की सूचना प्राप्त होने पर।
3.	संजयनाथ पुत्र उदयचंद	के.का.बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं) एवं दिनांक 30.12.2022 से 26.02.2023 तक बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। उक्त प्रकरण में बन्दी द्वारा जमानत भरवाई गई अथवा नहीं की सूचना प्राप्त होने पर।
4.	फारूख पठान पुत्र ईस्माईल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा के जुर्माने की राशि जमा कराने के उपरान्त
5.	पिन्टु कुमार पुत्र भँवरलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा के जुर्माने की राशि जमा कराने के उपरान्त
6.	मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा के जुर्माने की राशि जमा कराने के उपरान्त
7.	दिनेश पुत्र रामेश्वरलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा के जुर्माने की राशि जमा कराने के उपरान्त

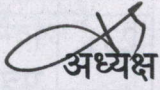

सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 08.04.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंह, सदस्य
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के निर्णय की पालना में 01 महिला बंदी के प्रकरण को बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
सन्तोष उर्फ सन्ध्या पत्नी बनवारी लाल उर्फ बबली	म.ब.सु.गृह जयपुर	111/2025	27.03.2025	28.03.2025

समिति द्वारा महिला दण्डित बंदी सन्तोष उर्फ सन्ध्या पत्नी बनवारी लाल उर्फ बबली, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर के प्रकरण पर अवलोकन करने पर पाया कि इस महिला बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं.-02, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 अंतर्गत धारा 302/120बी, 460/ 120बी आई.पी.सी में दिनांक 21.03.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

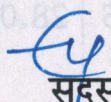
उक्त महिला बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक सजा की एक तिहाई भाग अर्थात् 06 वर्ष 11 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत लिये जाने पर प्रकरण दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया था।

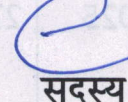
समिति के प्रकाश में आया कि महिला बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण इन्हे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन्हे नियम 4(क) के तहत कारागृह से बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

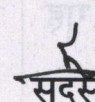
तत्पश्चात् दण्डित महिला बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 111/2025 संतोष बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 27.03.2025 से निर्णय पारित किया है कि In view of the above, the instant writ petition stands allowed. Consequently, the impugned order dated 14.10.2024 qua the petitioner stands quashed and set aside. The respondents are directed to shift the petitioner from Central Jail Woman, Jaipur to Open Air Camp, Sanganer, Jaipur, strictly in accordance with law. Pending application(s), pending if any, stand disposed of. से आदेशित किया।

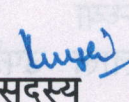
महिला दण्डित बंदी सन्तोष उर्फ सन्ध्या पत्नी बनवारी लाल उर्फ बबली का प्रकरण दिनांक 31.12.2024 की स्थिति में प्राप्त हुआ। तत्समय महिला बंदी द्वारा 07 वर्ष 07 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती जाने पर प्रकरण दिनांक 19.03.2025 को आयोजित बैठक में समिति के सामने विचारार्थ रखा गया। महिला बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर इन्हे उक्त नियम के तहत अपात्र होने पर समिति द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया। परन्तु माननीय न्यायालय ने अब प्रकरण में उक्त आदेश प्रतिपादित किये है।

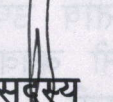
अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के उक्त आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित महिला बंदी सन्तोष उर्फ सन्ध्या पत्नी बनवारी लाल उर्फ बबली को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

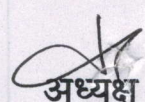

सदस्य
मुख्य परीवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की

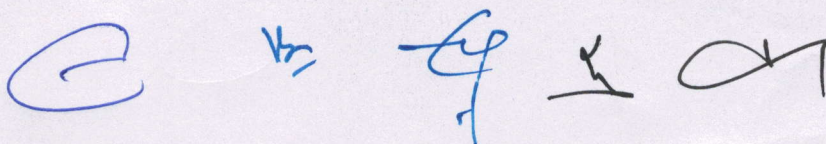
बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 08.04.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री रूपिन्दर सिंह,
अति.महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एल.आर.मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सत्यपाल जांगिड़,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

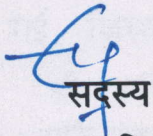
बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1078 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से शेष 01 बंदी के प्रकरण को बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से

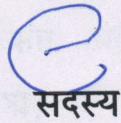


बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	रामराज पुत्र रामचन्द्र	के.का.कोटा	-


सदस्य

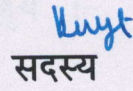
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

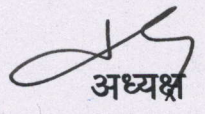
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य

महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


सदस्य

अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष

महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।